# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

**पत्र सं0-322/2022** **दिनांक- 26-सितम्बर-2022**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना- निजामाबाद**

**दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार**

**1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – दिनांक 22.09.2022 को थाना निजामाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत की, वादी की पुत्री के साथ राहुल गोंड पुत्र जयप्रकाश गोडं निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने लगभग 07 माह पूर्व से दुष्कर्म किया गया है तथा किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के संबंध में था मु0अ0सं0 412/22 धारा- 376/506 भादवि बनाम राहुल गौड़ उपरोक्त के पंजीकृत कराया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण** –दिनांक- 26.09.2022 को उप-निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त राहुल गोंड पुत्र जयप्रकाश गोडं निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ उसके घर ग्राम सीधा सुल्तानपुर से समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर वापस थाना आये। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग** –

मु0अ0सं0 412/22 धारा- 376/506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास** – उपरोक्त अभियोग

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

राहुल गोंड पुत्र जयप्रकाश गोडं निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

**1.उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला का0 दीपक कुमार मौर्या का0 अजय कुमार सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़**

**थाना- फूलपुर**

**अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.09.2022 को पी0आर0वी0 1064 द्वारा चोरी की सूचना पर एक व्यक्ति को थाने पर लाया गया है, जिसपर उ0नि0 माखन सिंह द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो व्यक्ति ने बताया कि मै बीती रात मे ग्राम चमाँवा में सड़क के किनारे एक मकान मे चोरी के इरादे से गया था लेकिन उस घर के लोग जाग गये और मै चोरी नही कर पाया। मेरे पास एक अदद तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस था जिसे मै अपने पास दूसरों को धमकाने के लिए रखा था। जब परिवार के लोग जाग गये तब मै वहाँ से भागते समय अपना तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस उसी घर के बगल मे स्थित झाड़ी मे फेंक दिया था। तमन्चा व कारतूस फेंककर भागते समय उस घर के लोगो ने दौड़ाकर मुझे पकड़ लिया था तथा डायल 112 पर चोरी की सूचना दे दिये थे। थोड़ी देर बाद डायल 112 के पुलिस वाले मौके पर आकर मुझसे पूँछ ताँछ किये थे लेकिन मैने उनसे कुछ नही बताया था। फिर वह लोग मुझे थाने पर लाकर कार्यालय मे बैठा दिये है। अगर आप मेरे साथ चले तो मै वहाँ पर झाड़ी से अपना फेंका हुआ तमन्चा व दो अदद कारतूस बरामद करा सकता हूँ। मो0 साहिल पत्र मो0 रियाज ग्राम अम्बारी थाना फूलपुर द्वारा एक अदद तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस ग्राम चमाँवा से बरामद किय गया। अभियुक्त को समय 13.15 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 312/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 - 312/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मो0 साहिल पुत्र मो0 रियाज ग्राम अम्बारी थाना फूलपुर आजमगढ़

**बरामदगी-**

**एक अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर**

**गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-**

1.उ0नि0 श्री माखन सिंह का0 शिवम कुमार पाल थाना फूलपुर आजमगढ़।

दिनाँक 24.09.2022 को श्री पंचम राम पुत्र सोमारू राम सा0 खूरशू थाना देवगाव जनपद आजमगढ अभियुक्तगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश के बावजूद भी गोलबन्दी कर आवेदक की भूमिधरी पर जबरदस्ती कब्जा करना विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए घर मे घुसकर मारने पीटने तथा जान माल की धमकी देने जिसमे मारपीट के दौरान आवेदक की पत्नी सहोदरा व बहु सीमा पत्नी कुवर यादवेन्द्र बहादुर को चोटे आने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 358/22 धारा 147/149/ 323/504/506/352/452 भा0द0वि0 थाना देवगाँव, आजमगढ़ पर पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 प्रदीप कुमार राही को सुपुर्द किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराध एव अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय लालंगज के नेतृत्व में मै उ0नि0 प्रदीप कुमार राही मय हमराह आरक्षी राहुल, आरक्षी शिवम राय के साथ चौकी पल्हना से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व पेण्डिंग विवेचना करता हुआ चौकी खैरा मे मामूर था तो मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि साहब मु0अ0सं0 358/22 धारा 147/149/ 323/504/506/352/452 भा0द0वि0 सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. साहब पुत्र शिवनायक उम्र करीब 40 वर्ष, 2. कपिन्जल पुत्र रामदीन उम्र करीब 36 वर्ष, 3. संदीप पुत्र शिवनायक उम्र करीब 30 वर्ष, 4. आजाद हिन्द टाइगर पुत्र शिवनाथ उम्र करीब 40 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम खुरशू थाना देवगाँव, आजमगढ़ पुनः वादी को मारने के फिराक में बैठे है अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर मै विवेचक मय हमराहियान व मुखबिर खास को साथ लेकर ग्राम खुरशू पहुँचा तो मुखबिर खास कुछ लोगो के तरफ इशारा करके बताया कि साहब यही लोग है और बता कर हट बढ़ गया। हम पुलिस वाले एक दूसरे की तलाशी लेकर धीरे धीरे कदमो से मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्तियों के तरफ बढे तो वे लोग हम पुलिस वालो को देखकर भागने लगे 10- 12 कदम के जाते जाते हम पुलिस वालो द्वारा हिकमत अमली से समय करीब 11.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

**अभियोग पंजीकृत** – मु0अ0सं0 358/22 धारा 147/149/ 323/504/506/352/452 भादवि

**गिरफ्तारी का स्थान व समय -** ग्राम खुरशू , दिनांक 26.09.2022, समय 11.50 बजे

**गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता**-

1. साहब पुत्र शिवनायक उम्र करीब 40 वर्ष
2. कपिन्जल पुत्र रामदीन उम्र करीब 36 वर्ष
3. संदीप पुत्र शिवनायक उम्र करीब 30 वर्ष
4. आजाद हिन्द टाइगर पुत्र शिवनाथ उम्र करीब 40 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम खुरशू थाना देवगाँव, आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

(1) उ0नि0 प्रदीप कुमार राही चौकी प्रभारी पल्हना, थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।
(2) का0 राहुल, चौकी पल्हना, थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।
(3) का0 शिवम राय चौकी पल्हना, थाना देवगाँव जनपद आजमगढ।